



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20262

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A सं. – 1105/2026

गुरमीत सिंह.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

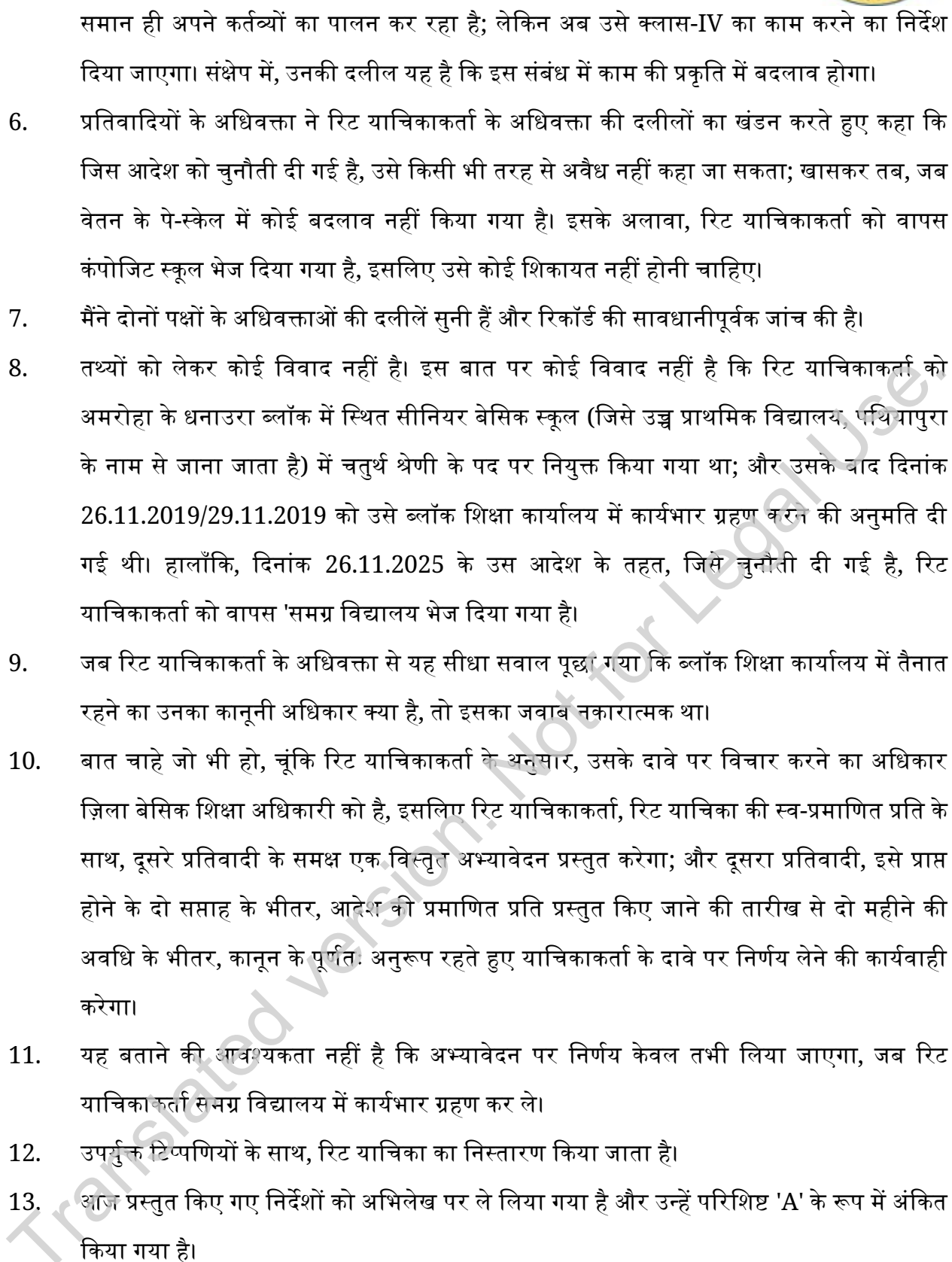
याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:पुनीत कृष्ण तिवारी, विनीत कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता, नागेंद्र कुमार पांडेय

न्यायालय कक्ष सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिवक्ता श्री नागेंद्र कुमार पांडे की दलीलें सुनीं।
- श्री नागेंद्र कुमार पांडे ने आवश्यक निर्देश उपलब्ध कराए हैं और उनका कहना है कि उनके पास मामले से संबंधित पर्याप्त निर्देश हैं। ये निर्देश इस रिट याचिका के निपटारे के लिए स्वयं में पूर्ण हैं, और उन्हें अब कोई अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। अतः, याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाए। इस प्रकार, दोनों पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
- रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें शुरू में दिनांक 07.12.2021 को अमरोहा के धनाउरा ब्लॉक में स्थित 'उच्च प्राथमिक विद्यालय, पथियापुरा' (जिसे सीनियर बेसिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है) में चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात किया गया था, और उन्होंने वहां अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद, दिनांक 26.11.2019 को 'बेसिक शिक्षा निदेशक' द्वारा पारित एक आदेश के अनुपालन में रिट याचिकाकर्ता को अमरोहा जिले के ग्रामीण/शहरी स्तर पर कार्यरत 'खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, अब 'जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमरोहा' द्वारा दिनांक 26.11.2025 को पारित एक आदेश के माध्यम से, रिट याचिकाकर्ता को वापस उसी स्थान पर भेज दिया गया है, जहां उनका मूल पद (lien) सुरक्षित है; यह स्थान अमरोहा के धनाउरा ब्लॉक में स्थित 'उच्च प्राथमिक विद्यालय, पथियापुरा' है, जो कि एक 'समग्र विद्यालय' है।
- इसी आदेश को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने यह वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
- रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी है कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता; खासकर तब, जब यह बताने का कोई कारण नहीं दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता को वापस कंपोजिट स्कूल क्यों भेजा जा रहा है—चाहे वह जनहित में हो या प्रशासनिक ज़रूरत के चलते। उन्होंने कहा कि इसका पूरा आधार रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई एक शिकायत है। उन्होंने आगे कहा कि रिट याचिकाकर्ता पहले से ही काम कर रहा है और क्लास-III पद के “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”